(५) (५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4128–चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 650/निगरानी/06–07.

.....

1. सुदर्शन पिता प्रेम शाह
2. रामनाराण पिता प्रेमशाह
दोनों निवासी ग्राम मिठुल, तहसील सिंगरौली,
जिला सिंगरौली म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

धनीसिंह पिता श्री मन्नत सिंह गोंड
निवासी ग्राम मिठुल तहसील व जिला
सिंगरौली म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री जे0पी0 सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0के0 देव पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत के आदेश दिनांक 13–10–2008 अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा भू–अभिलेख में बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधार करने हेतु संहिता की धारा 89 के अन्तर्ग आवेदन तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष पेश किया। तहसीलदार सिंगरौली ने आदेश दिनांक 23–9–2005 से आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया। तहसीलदार के आवेदन के विरूद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर

कलेक्टर ने आदेश दिनांक 10–7–05 से अनावेदक की निगरानी निरस्त की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसपर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–10–08 को आदेश पारित करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंदोबस्त में हुई त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत किया जबकि संहिता की धारा 89 में सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को न होकर अनुविभागीय अधिकारी को है। अपर कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर बिना विचार किये निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की। इसी कारण अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने तहसीलदार द्वारा की गई विधिक त्रुटि को दृष्टिगत रखकर निगरानी स्वीकार की तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13–10–2008 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

2/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर